

थाना कोतवाली शहर व स्वाट टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 04 अभियुक्त 08 बने - अवैध तमंचे 315 बोर, 202 जिन्दा कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार ।

मु0अ0स0 338/2020 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम दिनांक घटना- 27-09-2020 समय 01.20 बजे
घटनास्थल – बैराज से धर्मनगरी को जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत मे

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- सतपाल पुत्र दयाराम निवासी गाव नरायणपुर थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा ।
- 2- इतेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी गाव तिबडी थाना धामपुर जिला बिजनौर ।
- 3- सुहैल उर्फ सोनू पुत्र स्व शमीम अहमद निवासी डूंग कालोनी मो0 किला थाना अफजलगढ जिला बिजनौर ।
- 4- अतुल पुत्र बल्लू सिंह निवासी ग्राम पुरैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 08 बने व अवैध तमचे 315 बोर
- 2- 202 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3- शस्त्र बनाने के उपकरण

घटना का विवरण –

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शस्त्रों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली शहर व स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1-सतपाल पुत्र दयाराम निवासी गाव नरायणपुर थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा 2- इतेन्द्र कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी गाव तिबडी थाना धामपुर जिला बिजनौर 3- सुहैल उर्फ सोनू पुत्र स्व शमीम अहमद निवासी डूंग कालोनी मो0 किला थाना अफजलगढ जिला बिजनौर व 4- अतुल पुत्र बल्लू सिंह निवासी ग्राम पुरैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते बैराज से धर्मनगरी को जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत से 07 बने अवैध तमचे 315 बोर ,01 अधबना तमंचा 315 बोर ,82 जिन्दा कारतूस 315 बोर व भारी मात्रा में फैक्ट्री बनाने का उपकरण बरामद हुये । अभियुक्त सतपाल द्वारा बताया गया कि कारतूस अतुल ने उपलब्ध कराये है । इसी क्रम में अभियुक्त अतुल उपरोक्त से 120 कारतूस बरामद हुये । जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 639/20 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अतुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। जिनके अपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों से भी की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर आदि की कार्यवाही करायी जायेगी

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर जनपद में अवैध असलहों की मांग में तेजी होने के कारण हम लोग अवैध रूप से शस्त्र निर्माण कर अच्छे दामों में बेचते है । जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। हम एक तमंचा 5000/- से 10000/- रुपये तक बेच देते है। जिससे हमारे घर का खर्च व शौक आसानी से पूरे हो जाते है।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण

मु0अ0सं0 638/20 धारा 5/25 आयुध अधिनियम बनाम सतपाल आदि 03 नफर उपरोक्त ।
मु0अ0सं0 639/20 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम अतुल उपरोक्त ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर श्री राजेश कुमार सोलंकी

उ0नि0 श्री हिमाशु चौहान स्वाट टीम

उ0नि0 श्री संदीप मलिक थाना कोतवाली शहर

उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली शहर

का0 शुभम राठी थाना कोतवाली शहर

का0 अरविन्द थाना कोतवाली शहर

का0 आदेश कुमार स्वाट टीम

का0 सुमित कुमार स्वाट टीम

का0 बेताल जावला स्वाट टीम



थाना हीमपुर दीपा:— आज दिनांक 27.09.2020 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त इलयास पुत्र बाबू निवासी ग्राम रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 150 /20 धारा 304B, 498A, 328, 323, 506 भादवि 3/4 दहेज अधिनियम मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नगीना:— आज दिनांक 27.09.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त अनवर पुत्र इकरार निवासी बडीबनी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 456 /20 धारा 294 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना नगीना:— आज दिनांक 27.09.2020 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त सबू पुत्र आसिफ अली निवासी मौहल्ला आशियाना थाना नगीना जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 457/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना चांदपुर:— आज दिनांक 27.09.2020 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त ओमपाल पुत्र बुध सिंह निवासी मुंद्रा कला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- आज दिनांक 27.09.2020 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र बल्लू सिंह निवासी ग्राम अब्दुल रहमानपुर उर्फ पुरैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 639/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना अफजलगढ:- आज दिनांक 27.09.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1- रामपाल पुत्र नत्थु सिंह निवासी ग्राम हरीहरपुर 2- पप्पू पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम जिगरवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

